UPSB010006932025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र

पीठासीन- राम सुलीन सिंह,एच.जे.एस. UP 1886

फौजदारी निगरानी संख्या-17/2025

संगीता पत्नी परदेशी उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम- लोहरा, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य बजरिए डी.जी.सी. क्रिमिनल जनपद सोनभद्र
2. गुड्डू पुत्र स्व० मंगरू उम्र करीब 30 वर्ष
3. सेवक पुत्र स्व० मंगरू उम्र करीब 32 वर्ष
4. मिट्ठू पुत्र स्व० मंगरू उम्र करीब 34 वर्ष
5. जय किशन पुत्र मिट्ठू उम्र करीब 21 वर्ष
6. सरवन पुत्र श्याम कुबेर उम्र करीब 40 वर्ष
7. बबलू पुत्र सरवन उम्र करीब 21 वर्ष।

समस्त निवासीगण ग्राम लोहरा- थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

विपक्षीगण/ प्रस्तावित अभियुक्तगण

<u>निर्णय</u>

1. निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी के द्वारा यह फौजदारी निगरानी, विद्वान विचारण न्यायालय अपर सिविल जज जू०डि०, द्वितीय सोनभद्र के द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या-1110/2024 संगीता बनाम गुड्डू आदि, थाना राबर्ट्सगंज, सोनभद्र में पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 23.01.2025 के माध्यम से निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) को निरस्त कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण योजित किया गया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अं.धारा-173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 25.09.2024

Digitally signed by RAM SULIN SINGH
Date: 2026.07.16 15:11:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को समय सुबह 8.00 बजे वह घर में अकेली थी कि उसी समय विपक्षी गुड्डू गलत काम करने की नीयत से उसके घर में घुस आया तथा उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिया तथा उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने लगा। उसके शोर करने पर खेतों में काम कर रहे उसके घर वाले आ गए, जिन्हें देखकर विपक्षी भाग गया। प्रार्थिनी के घर वालों ने विपक्षी के घर जाकर पूछताछ किया तो वह घर पर नहीं मिला। उसी दिन लगभग 9 बजे दिन में विपक्षीगण सेवक, मिट्ठू, सरवन, बब्लू एकराय होकर उसके दरवाजे पर चढ़ आए व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। विपक्षीगण उसके घर में घुसकर उसे व उसके देवर सकलदीप के साथ मारपीट किए, गाली गलौज किए व जाने से मारने की धमकी भी दिए। उसने घटना के बारे में थाने पर लिखित सूचना दी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि शांतिभंग में उसके ही घर वालों के विरुद्ध मु०अ०सं० 677/24 पंजीकृत कर दिया, जिसमें विवेचना प्रचलित है। प्रार्थिनी ने श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को जरिए रजिस्टर्ड डाक दिनांक 10.10.2024 को सूचना दिया, कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में समस्त विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए किसी सक्षम अधिकारी से विवेचना कराये जाने की याचना की गयी।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित घटना के बावत् सम्बन्धित थाना से घटना की सत्यता को परखने हेतु जांच आख्या आहूत की गयी, जिस पर थाना राबर्ट्सगंज द्वारा जाचोंपरान्त जांच आख्या प्रस्तुत की गयी। तत्पश्चात निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर सुनने के उपरांत आलोच्य आदेश दिनांकित 23.01.2025 के माध्यम से निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र को इस अभिमत के साथ निरस्त कर दिया गया कि प्रार्थिनी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मात्र विपक्षी द्वारा आवेदिका पक्ष के विरुद्ध पंजीकृत कराए गए मुकदमे पर दबाव बनाने हेतु मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों से कोई संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रस्तुत नहीं हो रहा है।

4. निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी द्वारा पुनरीक्षण में यह आधार लिया गया है कि प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.01.2025 के विरुद्ध, निगरानीकर्ती के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (प्रयागराज) के समक्ष निगरानी अथवा कोई अन्य याचिका प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (प्रयागराज) के समक्ष विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय कानून एवं प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है। विपक्षी संख्या-2 ने पांच अन्य प्रस्तावित अभियुक्तगण के साथ मिलकर गम्भीर व संज्ञेय

अपराध कारित किया है, जिसके समस्त साक्ष्य वगैरह विवेचना से पुलिस द्वारा ही संकलित किया जा सकता है, जो गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है और भारतीय न्याय संहिता की धारा-64/62, 76, 115(2), 131, 191(2), 333, 351, 352 के अन्तर्गत संज्ञेय व अजमानतीय अपराध की कोटि में आता है। निगरानीकर्ती द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 1110 सन् 2024 की पत्रावली में घटना से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण अभिलेख विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर विचारण न्यायालय ने विपरीत राय व्यक्त कर गंभीर त्रुटि कारित किया है, जबकि निगरानीकर्ती द्वारा विचारण न्यायालय में जो भी दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना साबित है। दिनांक-25.09.2024 को विपक्षी संख्या-2, निगरानीकर्ती के घर में घुस आया और निगरानीकर्ती के साथ जबरदस्ती छेड़खानी करते हुए निगरानीकर्ती का कपड़ा फाड़ दिया और निगरानीकर्ती के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, जिसमें प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना साबित है, जिसके समस्त साक्ष्य व घटना में सम्मिलित अन्य चार व्यक्तियों की सहभागिता के बावत स्पष्ट साक्ष्य विवेचना से ही एकत्रित हो पाना सम्भव है, जिसमें प्रथम दृष्टया प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा कर मामले की विवेचना कराया जाना ही आवश्यक है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी.एन.एस.एस. 2023 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया यह स्थापित /प्रकट होना देखा जाता है कि "प्रस्तुत प्रकरण में संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना स्थापित है"। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी बिन्दु एवं मान्यता की अनदेखी कर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त कर प्रश्नगत आदेश पारित किया है अतएव आक्षेपित आदेश खण्डनीय है। उक्त आधार पर पुनरीक्षण को स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र संख्या- 11 ख/1 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि निगरानीकर्ती द्वारा प्रस्तुत निगरानी सरासर गलत व असत्य कथनों पर कानून के मंशा के विपरीत झूठे कथनों के आधार पर प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से दाखिल किया गया है। विपक्षी सं0-1 "गुड्डू चौहान की पुत्री सोनाली उम्र 15 वर्ष कक्षा 9 की छात्रा थी जिसे स्कूल व कोचिंग जाते समय कई बार सकलदीप पुत्र शम्भू चौहान निवासी लोहरा, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र (जो निगरानीकर्ती का देवर है) के द्वारा रास्ते में जाते समय भद्दी-भद्दी बातें बोलते हुये फफ्द्दीया कशी जाती थी। कई बार लड़की के विरोध करने पर भी नहीं माना तो लड़की सोनाली ने अपने माँ-बाप से भी बताया। आज दिनांक 25.09.2024 को सुबह 9:00 बजे जब सोनाली कोचिंग से पढ़ाई कर घर वापस

आ रही थी तभी रास्ते में सकलदीप के द्वारा हाथ पकड़कर आई लव यू बोलकर भद्दी-भद्दी बातें करते हुये गलत इशारा हाथ से करते हुये छेड़खानी करने लगा जिस पर सोनाली ने विरोध किया और रोते हुये घर पर अपने माँ से आप बीती बाते बताई। पिता गुड्डू घर जाकर समझाने के लिए रास्ते में जा रहे थे तभी सकलदीप मिला, मेरे द्वारा छेड़खानी का विरोध करने व समझाने पर सकलदीप आगबबूला हो गया और मारपीट करने लगा तभी उसके भाई परदेशी और उसके पिता शम्मू ने ललकारते हुये खंती लेकर दौड़कर आए और हमला कर दिये, के तहरीर पर मु०अ०सं० 0677 सन् 2024 धारा 75(1), 296, 79, 115 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 थाना-राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, उसमें दबाव बनाने हेतु निगरानीकर्ती ने झूठे कथनों के आधार पर विचारण न्यायालय में अंतर्गत धारा 173 (4) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारण न्यायालय ने संज्ञान लेते हुये थाना इलाका से रिपोर्ट तलब करके साक्ष्य सबूत के आधार पर निरस्त कर दिया गया। जो सत्य व सही कानून के प्रक्रिया के तहत किया गया है। निगरानीकर्ती ने अपने विचारण न्यायालय के प्रार्थना पत्र व निगरानी में कहा गया है कि घटना की सूचना थाना इलाका सोनभद्र में दिया गया था, सरासर गलत है ऐसा कोई साक्ष्य निगरानीकर्ती द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने निगरानीकर्ती के विरुद्ध दिनांक 25.09.2024 को समय 8:00 बजे सुबह निगरानीकर्ती के विरुद्ध कोई अपराध कारित नहीं किया गया है बल्कि मु०अ०सं० 0677 सन् 2024 धारा 75(1), 296, 79, 115 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 थाना राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र में दबाव बनाने हेतु विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन करके न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करके कानून के मंशा के अनुरूप सही तथ्यों के आधार पर खण्डित किया गया है। अतः फौजदारी निगरानी निरस्त किया जाय।

6. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. यह दाण्डिक पुनरीक्षण धारा-438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत संस्थित किया गया है।

धारा-438 बी.एन.एस.एस निम्नवत है-.

धारा-438 बी.एन.एस.एस- पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना-

(1) उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर स्थित किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख

को, किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से, मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है और ऐसा अभिलेख मंगाते समय निदेश दे सकता है कि अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक किसी दंडादेश का निष्पादन निलंबित किया जाए और यदि अभियुक्त परिरोध में है तो उसे उसके बंधपत्र या जमानतपत्र पर छोड़ दिया जाए ।

स्पष्टीकरण- सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वे कार्यपालक हों या न्यायिक, और चाहे वे आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हों, या अपीली अधिकारिता का, इस उपधारा के और धारा 439 के प्रयोजनों के लिए सेशन न्यायाधीश से अवर समझे जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में नहीं किया जाएगा ।

(3) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो उच्च न्यायालय को या सेशन न्यायाधीश को किया गया है, तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन उनमें से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र अं.धारा-173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह आक्षेप लगाया है कि दिनांक 25.09.2024 को समय सुबह 8.00 बजे वह घर में अकेली थी कि उसी समय विपक्षी गुड्डू गलत काम करने की नीयत से उसके घर में घुस आया तथा उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिया तथा उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करने लगा। उसके शोर करने पर खेतों में काम कर रहे उसके घर वाले आ गए, जिन्हें देखकर विपक्षी भाग गया। प्रार्थिनी के घर वालों ने विपक्षी के घर जाकर पूछताछ किया तो वह घर पर नहीं मिला। उसी दिन लगभग 9 बजे दिन में विपक्षीगण सेवक, मिड्डू, सरवन, बब्लू एकराय होकर उसके दरवाजे पर चढ़ आए व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। विपक्षीगण उसके घर में घुसकर उसके देवर सकलदीप के साथ मारपीट किए, गाली गलौज किए व जाने से मारने की धमकी भी दिए।

9. थाना राबर्ट्सगंज से प्रस्तुत जांच आख्या के अनुसार दिनांक 25.09.2024 को समय करीब 09.00 बजे विपक्षी गुड्डू चौहान की पुत्री सोनाली उम्र करीब 15 वर्ष स्कूल जा रही थी तो आवेदिका के देवर सकलदीप चौहान द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया था, जिसकी शिकायत करने पर विपक्षी गुड्डू चौहान आवेदिका के घर गया तो उसके पति, देवर व ससुर द्वारा मारपीट किया गया, जिसे सन्दर्भ में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 677/2024, धारा- 75(1), 296, 79,

115(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा- 7/8 पाक्सो एक्ट, आवेदिका पक्ष के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

10. मैनें प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस आधार पर निरस्त किया गया है कि निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मात्र विपक्षी द्वारा आवेदिका के पक्ष के विरूद्ध पंजीकृत कराए गये मुकदमें पर दबाब बनाने हेतु मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा विपक्षीगण द्वारा कोई भी संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया परिलक्षित नहीं होता है।

11. निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित कथनों से यह तथ्य प्रकट होता है कि निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया है कि कथित घटना के समय परिवार के कुल कितने सदस्य खेत में कौन सा कार्य करने गए थे और उनमें से कितने सदस्य शोर सुनकर घटना स्थल पर वापस आए। इसके अतिरिक्त, निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र में अपने घर से खेत की दूरी के संबंध में भी कोई विवरण उल्लेख नहीं किया गया है जबकि घटना स्थल उसके घर के अन्दर होना बताया गया है। यहाँ यह तथ्य भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कथित घटना स्थल ग्रामीण क्षेत्र का है, जहाँ स्वाभाविक रूप से निगरानीकर्ती/ प्रार्थिनी के घर के आस-पास अन्य ग्रामीणों के भी आवास स्थित होंगे। ऐसी स्थिति में, निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी द्वारा शोर मचाए जाने पर आस-पास के स्थानीय निवासियों का वहां आना स्वाभाविक था, किंतु प्रार्थना पत्र में स्वतंत्र गवाहों (आस-पास के लोगों) के बजाय केवल खेत में काम कर रहे अपने परिवार के सदस्यों को ही घटना स्थल पर आने का उल्लेख किया गया है, जो कथित घटना की सत्यता को संदिग्ध बनाता है।

12. पत्रावली पर मौजूद थाने से प्राप्त जांच आख्या के अवलोकन से विदित है कि आवेदिका के देवर सकलदीप द्वारा विपक्षी सं०-2 गुड्डू की बेटी के साथ छेड़छाड़ के संबंध में उसके विरुद्ध विपक्षी द्वारा पहले से मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मामले के तथ्यों तथा थाने से आहूत जांच आख्या के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिनी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मात्र विपक्षीगण द्वारा आवेदिका पक्ष के विरुद्ध पंजीकृत कराए गए मुकदमे पर दबाव बनाने हेतु मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

13. ***इन्द्रमोहन गोस्वामी बनाम स्टेट आफ उत्तरांचल, 2008 (60) ए.सी.सी. 1*** *में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक*

विधि का प्रयोग किसी भी पक्षकार को प्रताड़ित करने, किसी के ऊपर अनुचित दबाव बनाने व व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है।

14. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के विश्लेषण से निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी के द्वारा विपक्षीगण पर अनुचित लाभ लेने व दबाव बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के कारित होने का प्रकटन नहीं होता है।

15. उपर्युक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं.धारा-173(4) BNSS के सापेक्ष पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 23.01.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश पारित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित सभी तथ्यों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिक सिद्धांतों के सर्वथा अनुकूल है तथा उक्त आदेश में विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों एवं मान्यताओं की अनदेखी नहीं की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 में कोई अवैधता, अशुद्धता व औचित्यहीनता नहीं पायी जाती है। तद्नुसार फौजदारी निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>-:आदेश:-</u>

फौजदारी निगरानी संख्या-17/2025 संगीता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य निरस्त किया जाता है।

विचारण न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय को वापस किया जाय।

फौजदारी निगरानी की पत्रावली इसी न्यायालय के द्वारा नियमानुसार दाखिल दफ्तर किया जाय।

(राम सुलीन सिंह)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र

दिनांक-16.07.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

(राम सुलीन सिंह)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र

दिनांक- 16.07.2026